तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री अजीत लोढा, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री राजेश गौतम, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः 16.12.2025

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से अपील अपीलांट निराधार होने से अस्वीकार कर खारिज करते हुए तहसीलदार, आमेट का आदेश दिनांक 30–05–2005 को बहाल रखा गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की निगरानी पर बहस सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में कथन किये हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा मंगवायी गई तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 06–04–2004 प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना नोटिस दिये एकतरफा में बनाई गई है। जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं थी। पटवारी सियाणा द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के आदेश दिनांक 24–03–2004 के सन्दर्भ में जो मौका रिपोर्ट दिनांक 27–03–2004 को पेश की गई है। उस रिपोर्ट के पैरा नं0 2 में अंकित किया गया है कि संलग्न नक्शे अनुसार आराजी नं0 399 (सुमाड़िया) रास्ता वि.गै.का. का दर्ज है तथा आराजी नं0 407 गै0मु0 रास्ता दौला, दल्ला, रामा एवं उदयराम ढोली साकिन सिरोड़ी खातेदार दर्ज है। यह रिपोर्ट भी स्पष्ट करती है कि विपक्षीगण के खेत खसरा नं0 420, 421 व 426 पर जाने के लिए गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 399, 407 में मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27–03–2004 से यह भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खसरा नं0 400, 401, 402 व 403 तथा आराजी खसरा नं0 754, 755, 756 व 757 ग्राम सिरोड़ी के मध्य कोई रास्ता दर्ज नहीं है फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना विधिक परीक्षण एवं मौका रिपोर्ट के विरूद्ध जाकर उक्त मौका रिपोर्ट को ही आधार बताते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अगर कोई भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसे रिबट या क्रॉस करने का कानूनी अवसर विपक्षी पक्षकार को दिया जाना चाहिए अन्यथा उक्त शपथ पत्र को शहादत व सबूत हेतु नहीं पढ़ा जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को शहादत व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही प्रकरण को फैसल कर दिया है जो विधि की मंशा के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दिनांक 28-05-2005 को विचारण न्यायालय की आदेशिका में मौका निरीक्षण किये जाने बाबत् प्रोसिडिंग अंकित की गई है जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रार्थी को सूचित करके नहीं ली गई न ही उक्त मौका रिपोर्ट की कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पृष्ठ सं0 2 पर उक्त कथित रिपोर्ट लिये जाने की तारीख का स्थान भी रिक्त है जो स्पष्ट करता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट नहीं ली गई न ही बनाई गई। तहसीलदार, आमेट को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण में कार्यवाही करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार ही नहीं था, फिर भी उन्होंने अपने श्रवणाधिकार का दुरूपयोग कर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन ही नहीं किया जबकि प्रकरण में मौजूदा प्रार्थी द्वारा दिनांक 09-11-2004 को विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया था उसके बाद कई बार अवसर भी प्रदान किये गये। दिनांक 30-05-2005 को ही प्रकरण निर्णित कर दिया गया। इस कारण प्रथम अपीलीय न्यायालय की 15 अवसर दिये जाने की फाईन्डिंग भी पूर्णत रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में विचारण न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किये बगैर ही आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। जो किसी भी स्थिति में स्पीकिंग	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–2005 एवं तहसीलदार, आमेट का निर्णय दिनांक 30–05–2005 निरस्त किये जावे।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2002 आर0आर0डी0 पेज 24 के न्याय दृष्टान्त पेश किये।

4– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए बहस में तर्क दिये हैं कि विचारण न्यायालय तहसीलदार, आमेट के समक्ष प्रार्थी द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आने–जाने के एकमात्र रास्ते को दोनों गाँव की सीमाओं के मध्य से आराजी नं0 754, 755, 756, 400, 401 व 403 में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराने एवं गणेश को मौके पर रास्ता बंद करने से रोके जाने का निवेदन किया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30–05–2005 से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट गणेश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील 15–12–2005 को खारिज की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी खारिज की जावें।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार, आमेट के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत रास्ता खुलवाने हेतु पेश किया। जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया। प्रकरण में पटवारी हल्का से वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ली गई। जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा 27–03–2004 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण को ग्राम पंचायत सियाणा को सुनवाई हेतु प्रेषित किया गया। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई एवं प्रकरण पुनः तहसीलदार, आमेट को प्रेषित कर दिया। जिस पर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तहसीलदार, आमेट द्वारा दोनों पक्षों के जवाब रिकॉर्ड पर लिये जाकर दिनांक 30–05–2005 को अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि में पत्थरों की कच्ची डोली आंशिक रूप से हटाने के आदेश दिये जाकर अप्रार्थीगण को आवागमन का रास्ता दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट गणेश द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद के समक्ष अपील प्रस्तुत की। जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील 15–12–2005 को खारिज की गई है।

7– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त 2002 आर0आर0डी0 पेज 24 में अभिनिर्धारित किया गया है कि –

Rajasthan Tenancy Act, Section 251 - Revision against order of Addl. Collector - Held, application presented by non-petitioner has been directly sent to Tehsildar for disposal regarding dispute of way-Compliance of notification dt. 4.9.82 has not been done-Application should have been sent to concerned Gram Panchayat for disposal-Powers have been conferred on Tehsildar in respect of dispute of way if the matter remains pending after 45 days-Order of Addl. Collector and Tehsildar are out of jurisdiction-Case remanded to Tehsildar to send the applicaton to Gram Panchayat concerned for disposal.

8– धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान है कि :–

रास्ते तथा अन्य निजी सुखाचार (Easement) के अधिकार – (1) उस अवस्था में जब कोई भूमिधारी जो वस्तुतः रास्ते के अधिकार, या अन्य सुखाचार या अधिकार का उपभोग कर रहा हो, अपने ऐसे उपभोग में बिना उसकी सहमति के, कानून द्वारा निर्धारित प्रणाली के भिन्न तरीके से, बाधित किया जाये, तहसीलदार, इस प्रकार बाधित भूमिधारी के प्रार्थनादृपत्र पर, तथा उक्त उपभोग एवं बाधा के विषय में सरसरी जाँच करने के पश्चात् बाधा को हटाये जाने की अथवा बन्द किये जाने की ओर प्रार्थी भूमिधारी को पुनः उक्त उपभोग करने देने की आज्ञा दे सकेगा, चाहे इस प्रकार पुनः उपभोग किये जाने के खिलाफ तहसीलदार के समक्ष अन्य कोई हक स्थापित किया जाये।

(2) इस धारा के अन्तर्गत पारित कोई आज्ञा किसी व्यक्ति को ऐसे अधिकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

या सुखाचार को स्थापित करने से विसर्जित नहीं करेगी जिसके लिये वह सक्षम दीवानी न्यायालय में नियमित रीति से वाद प्रस्तुत करके दावा कर सकता हो।

9– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में मुख्य तर्क यही है कि विचारण न्यायालय द्वारा मंगाई गई तथाकथित मौका रिपोर्ट दिनांक 06–04–2004 प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना नोटिस दिये एकतरफा में बनाई गई है। जिसकी प्रार्थीगण को कोई जानकारी नहीं है। पटवारी सियाणा द्वारा उप तहसीलदार, सरदारगढ के आदेश दिनांक 24–03–2004 के सन्दर्भ में जो मौका रिपोर्ट दिनांक 27–03–2004 को पेश की गई है। उस रिपोर्ट के पैरा नं0 2 में अंकित किया गया है कि संलग्न नक्शे अनुसार आराजी नं0 399 (सुमाड़िया) रास्ता वि.गै.का. का दर्ज है तथा आराजी नं0 407 गै0मु0 रास्ता दौला, दल्ला, रामा एवं उदयराम ढोली साकिन सिरोड़ी खातेदार दर्ज है। रिपोर्ट भी यह स्पष्ट करती है कि विपक्षीगण के खेत खसरा नं0 420, 421 व 426 पर जाने के लिए गै0मु0 रास्ता खसरा नं0 399, 407 में मौजूद है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 27–03–2004 से स्पष्ट है कि राजस्व रिकॉर्ड में आराजी खसरा नं0 400, 401, 402 व 403 तथा आराजी खसरा नं0 754, 755, 756 व 757 ग्राम सिरोड़ी के मध्य कोई रास्ता दर्ज नहीं है।

2004 में ग्राम पंचायत को ही धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधिकार था कि वह 45 दिनों तक प्रकरण को दर्ज करके सुनवाई पश्चात् निस्तारण करे। तहसीलदार द्वारा भी पहले ग्राम पंचायत को ही तय करने को भेजा था। ग्राम पंचायत ने प्रकरण पुनः तहसीलदार, आमेट को कार्यवाही हेतु भिजवा दिया गया।

विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी को शहादत व सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर ही प्रकरण को फैसल कर दिया है जो विधि की मंशा के विपरीत होने से निरस्तनीय है। दिनांक 28–05–2005 को विचारण न्यायालय की आदेशिका में मौका निरीक्षण किये जाने बाबत् प्रोसिडिंग अंकित की गई है जबकि वास्तविकता में ऐसी कोई मौका रिपोर्ट तहसीलदार, आमेट द्वारा प्रार्थी को सूचित करके नहीं ली गई न ही उक्त मौका रिपोर्ट की कोई फर्द पत्रावली पर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/1122/2006/राजसमंद** **गणेश बनाम रायसिंह**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णय की पृष्ठ सं0 2 पर उक्त कथित रिपोर्ट लिये जाने की तारीख का स्थान भी रिक्त है जो स्पष्ट करता है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट नहीं ली गई न ही बनाई गई। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बिना विधिक परीक्षण किये एवं केवल उक्त मौका रिपोर्ट को ही आधार मानकर आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्तनीय है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार किसी भी निर्णय से पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए निर्णय किया जाना चाहिये। जबकि प्रकरण में एकतरफा में बनाई गयी मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय पारित किया गया है। इसलिए प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मोहताज है।

10– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर लागू होते हैं।

11– उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की निगरानी न्यायहित में **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–12–2005 एवं तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–05–2005 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, आमेट को इस निर्देश के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि सभी पक्षों को साक्ष्य व सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय आवश्यक रूप से 3 माह में पारित करे।

12– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य